बाराबंकी पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

थाना देवा

दिनांक- 22.07.2024

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा बलात्संग व जान से मारने की धमकी की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए **"Operation Conviction"** कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में **थाना देवा** पर **बलात्संग व जान से मारने की धमकी की घटना** के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 **492/2022** धारा 376/**506 भादवि** से सम्बन्धित **अभियुक्त उमेश यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी रामपुर कुडेलवा थाना देवा जनपद बाराबंकी** को उपरोक्त धाराओं में **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 कोर्ट) बाराबंकी** द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया तथा दौरान विवचना अभि0 उपरोक्त को धारा **504 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दोषमुक्त किया गया ।** उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। **उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.09.2022 को थाना देवा निवासिनी द्वारा **अभियुक्त उमेश यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी रामपुर कुडेलवा थाना देवा जनपद बाराबंकी** के विरुद्ध दुष्कर्म करने, गाली-गलौज कर **जान से मारने की धमकी देने** के सम्बन्ध में सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना देवा पर **492/2022** धारा **376/504/506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** बनाम अभियुक्त **उमेश यादव** उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अभियोग में आरोपी को दिनांक 08.09.2024 को गिरफ्तार किया गया एवं तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा 81 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1-श्री कृपाशंकर तिवारी ए0डी0जी0सी0 एस0सी0एस0टी कोर्ट जनपद बाराबंकी
2-निरीक्षक श्री आशुतोष मिश्र प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
3-हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
4-म0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-का0 आदर्श कुमार मिश्र, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-का0 विनीश पाण्डेय पैरोकार थाना देवा जनपद बाराबंकी
7-कोर्ट मो0 हे0का0 उपेन्द्र सिंह एस0सी0एस0टी0 कोर्ट जनपद बाराबंकी